दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार, 01 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 182

महत्वपूर्ण एवं खास

गिट्टी लदे डंपर से टकराई कार, चार लोगों की मौत, प्रतापगढ़ से लखनऊ जाते समय हुआ हादसा

हैदरगढ़ बाराबंकी (आरएनएस)। प्रतापगढ़ से लखनऊ जा रहे कार सवार लोगों के साथ बाराबंकी में बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी लदे डंपर से कार के टकराने के कारण चार लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीन लोगों की मौके पर जान चली गई। जिले के लोनीकटरा थानाक्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। हाथी का पुरवा गांव के पास एक कार और गिट्टी से लदे डंपर की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गईस्थानीय पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बुधवार देररात हुई जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चौथे व्यक्ति ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया। कार में सवार सभी लोग प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली सदर के पल्टन बाजार के रहने वाले थे और लखनऊ जा रहे थे। प्रभारी निरीक्षक लोनीकटरा विश्वनाथ यादव ने बताया कि तेज रफ्तार बलेनो कार गांव के पास डंपर से टकरा गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार सभी लोगों को बाहर निकालकर हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि चौथे व्यक्ति को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो

पाक सीमा के पास मिली अपहृत किशोरी

इंदौर (आरएनएस)। क्षिप्रा क्षेत्र से डेढ़ माह पूर्व एक आदिवासी किशोरी को ले गए आरोपित को पुलिस ने पाकिस्तान सीमा के नजदीक जैसलमेर के आगे से बुधवार रात गिरफ्तार किया और उसके कब्जे में किशोरी को मुक्त कराया। एसपी देहात भगवत सिंह के अनुसार 18 फरवरी को क्षिप्रा थाना क्षेत्र से आदिवासी मजदूर परिवार के घर में दाखिल होकर राजेंद्र उर्पु राजा दरबार निवासी मूलत: सनाडिया (शाजापुर) किशोरी को अगवा करके ले गया था।

चित्तौडग़ढ़ में अलसफा के तीन आतंकवादी गिरफ्तार

चित्तौडग़ढ़ (आरएनएस)। राजस्थान के चित्तौडग़ढ़ जिले में पुलिस ने आतंकवादी संगठन अलसफा के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से बम बनाने की सामग्री बरामद की हैं। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि जिले की निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मध्यप्रदेश की ओर से आई कार को रोककर उसकी तलाशी लेने पर एक बैग से आरडीएक्स जैसा मटैरियल, फ्यूज वायर व टाइमर सेट करने के लिए घड़ी के साथ नकदी बरामद की गई। प्रारम्भिक पूछताछ में तीनों ने खुद को मध्यप्रदेश के रतलाम शहर का निवासी बताते हुए आतंकवादी संगठन अलसफा से जुड़ा होना बताया तथा वे यह सामग्री जयपुर में किसी व्यक्ति को सौंपने वाले थे। किसे सौंपते उसे यह नहीं जानते लेकिन इनके आकाओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्र होना बताया जा रहा है। पुलिस ने इन लोगों को अफीम तस्करी के संदेह में रोका और तलाशी ली लेकिन इनके आतंकवादी होने का पता लगने पर राज्य की एटीएस सहित केंद्रीय एजेंसियों को सूचना दी गई जिनका देर रात से निम्बाहेड़ा में जमावड़ा हो गया।

गृह मंत्रालय ने 5 राज्यों में आपदा राहत के लिए 1,887 करोड़ रुपये मंजूर किए

नई दिल्ली (आरएनएस)। गृह मंत्रालय ने पांच राज्यों में आपदा राहत के लिए 1,887 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक समिति ने 2021 में बाढ़/भूस्खलन/ओलावृष्टि से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। तदनुसार, समिति ने बिहार (1,038.96 करोड़ रुपये), हिमाचल प्रदेश (21.37 करोड़ रुपये), राजस्थान (292.51 करोड़ रुपये), सिक्किम (59.35 करोड़ रुपये) और पश्चिम बंगाल (475.04 करोड़ रुपये) को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है। वित्तवर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के लिए 28 राज्यों को 17,747.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से नौ राज्यों को 6,197.98 करोड़ रुपये जारी किए।

मुख्यमंत्री ने किया किसानों को चौथी किश्त के रूप 1029 करोड़ 31 लाख रूपए की भुगतान राशि जारी

- ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों को मिली 71 करोड़ 8 लाख रूपए दूसरी किश्त
- गोबर विक्रेता पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 62 लाख रूपए का भुगतान
- 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को दी गई 10 करोड़ 91 लाख रूपए की बीमा दावा राशि
- महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि हुई डेढ़ गुनी
- नगरीय निकायों के पदाधिकारियों की वित्तीय शक्ति को दोगुना करने की घोषणा

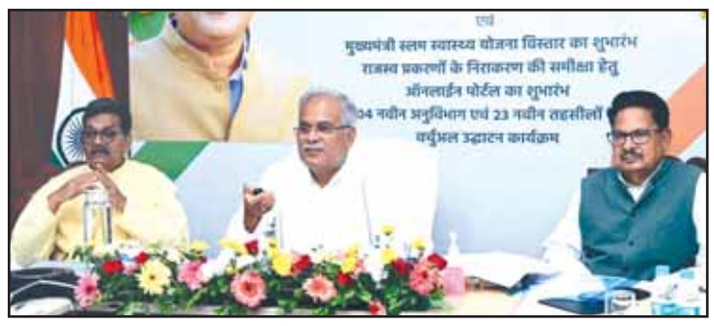

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वंचितों को न्याय दिलाने, छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्पन्न, सक्षम और स्वावलंबी बनाने और उनके कौशल को निखार कर उद्यमी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की यही रणनीति छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि के सीधे अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में तरक्की की बयार बह रही है। रोजगार के नए रास्ते खुले हैं, नवोन्मेष हुए हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र 1.7 प्रतिशत रह गई है, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण समेत अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। देश के कई राज्य इस योजना का अनुसरण करने की ओर बढ़ रहे है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को कुल 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 4 नए अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ करने के साथ ही राजस्व संबंधी शिकायतों को निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार वेबपोर्टल को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करते हुए इसे अब राज्य के नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालन के लिए 60 नवीन मेडिकल मोबाईल यूनिट का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राज्य के सभी नगर निगम के महापौर, सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षदों का मानदेय तथा वित्तीय शक्ति को बढ़ाकर दोगुना किए जाने की घोषणा के साथ ही महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना किए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास एवं जनसुविधा के कार्यों के लिए 579 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की, जिसके तहत नगर निगमों को 10-10 करोड़, नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा नगर पचायतों को 3-3 करोड़ रूपए विकास कार्यों के लिए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य के 20 लाख 58 हजार किसानों के खातों में चौथी किश्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सम्बल एवं न्याय देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 लाख 55 हजार भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में भी मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की।

बैतूल में नाबालिग का गर्भपात कराने के मामले में चिकित्सक सहित 4 गिरफ्तार

बैतूल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नाबालिग का गर्भपात कराए जाने के मामले में चिकित्सक सहित चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आमला कस्बे में एक नाबालिग छात्रा कोचिंग संचालक द्वारा दुष्कृत्य करने पर गर्भवती हो गई। कोचिंग संचालक सहित उसके माता-पिता द्वारा छात्रा का अवैध गर्भपात जिला मुख्यालय के करूणा अस्पताल में कराया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी,उसके माता-पिता व अस्पताल की संचालिका को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी प्रकाश भोजेकर एवं गर्भपात कराने में सहयोग करने वाले आरोपी के माता-पिता सहित गर्भपात करने वाली डॉ वंदना कापसे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार , आमला स्थित एक कोचिंग संचालक द्वारा कोचिंग में पढने वाली छात्रा से दुष्कृत्य किया, उसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। उसका जिला मुख्यालय के करूणा अस्पताल में गर्भपात कराया गया। अज्ञात व्यक्ति से नाबालिग का गर्भपात कराए जाने की सूचना मिली जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की।

मुलताई क्षेत्र की एसडीओपी नम्रता सौंधिया ने बताया कि अस्पताल को सील करने सहित अन्य कार्यवाही के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इधर इस मामले में सीएमएचओ डॉ. एके तिवारी का कहना है कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आनंद शर्मा, स्वामी समेत 72 सांसद राज्यसभा से रिटायर, पीएम मोदी बोले- अनुभवियों के जाने की कमी हमेशा खलेगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 12वां दिन है। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज राज्यसभा की 13 सीटों पर चुनाव होगा। ये 13 सीटें छह राज्यों की हैं, जिनमें पंजाब (5 सीट), केरल (3 सीट), असम (दो सीट) और हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की एक-एक सीट शामिल है। वोटिंग और इनकी गिनती आज ही संपन्न हो जाएगी। फिलहाल की बात करें तो 245 में से 97 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है।

गौर हो कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा से 72 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। आज राज्यसभा उनके कार्यों और योगदान को याद कर रही है। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने भी कई सदस्यों का जिक्र करते हुए उनके कार्यों और उनकी उपस्थिति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इन सदस्यों को विदाई देंगे। आज सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा जिससे विभिन्न दलों के नेता और सदस्य इस अवसर पर बोल सकें।

अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा, ए. के. एंटनी, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एम. सी. मैरी कॉम और स्वप्न दासगुप्ता शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, एम. जे अकबर, जयराम रमेश, विवेक तन्खा, वी. विजयसाई रेड्डी का कार्यकाल जून में समाप्त होगा। जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, पी. चिदंबरम, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, सतीश चंद्र मिश्रा, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल और के. जे. अल्फोंस शामिल हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं को फिर से नामित किया जाएगा वहीं कांग्रेस के कुछ सदस्यों को पुन: नामित किए जाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनमें से कई सदस्य जी-23 में शामिल हैं जो पार्टी नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं।

बर्फ से आँख गंवाने वाले सैनिक को बाईस वर्ष बाद सेना कोर्ट से मिली दिव्यांगता पेंशन

- लेह-लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में सेवारत सैनिक को सेना कोर्ट से मिला न्याय

लखनऊ (आरएनएस)। सेना कोर्ट लखनऊ ने उत्तराखण्ड के देहरादून निवासी सेना के पूर्व हवलदार देवबहादुर छेत्री मामले में भारत सरकार रक्षा-मंत्रालय को चौबीस साल बाद पचास प्रतिशत दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया, मामला यह था कि याची वर्ष 1998 में लेह-लद्दाख में सेवारत था जहाँ का तापमान माईनस चालीस डिग्री के लगभग रहता है, देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात सैनिक बर्फीले तूफान का शिकार हो गया और उसकी आँख में बर्फ लग गई जिसके कारण उसके आँख की रौशनी चली गई, दोनों आँख लगभग समाप्त हो गई, कई बार आपरेशन के बावजूद उसमें रोशनी नहीं आई उसके बाद, सेना ने सैनिक को मेडिकल आधार पर डिस्चार्ज करते हुए कहा कि कहा कि आँख खराब होने के लिए सैनिक स्वयं जिम्मेदार है न कि सेना इसलिए इसका लाभ नहीं दिया जा सकता।

सेना से इस प्रकार निकाले जाने से क्षुब्ध सैनिक ने अपने अधिकार के लिए भारत सरकार रक्षा-मंत्रालय के सामने अपील कि जिसमें उसने कहा कि उसकी दोनों आँखें लगभग समाप्त हो चुकी हैं इसके बावजूद उसे दिव्यांगता पेंशन न देना गलत है लेकिन, भारत सरकार रक्षा-मंत्रालय ने यह कहते हुए उसकी अपील को ख़ारिज कर दिया कि इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है इसलिए दिव्यांगता पेंशन नहीं दी जा सकती, उसके बाद पीड़ित ने अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय के माध्यम से सशत्र-बल अधिकरण, लखनऊ में वाद दायर किया। भारत सरकार रक्षा-मंत्रालय के अधिवक्ता ने इतने लंबे समय बाद मुकदमें की सुनवाई करने को कानून के विरुद्ध मानते हुए न्यायालय के सामने दलील दी कि न्याय उन्हीं के लिए है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हों ऐसे लोगों के लिए नहीं जो लंबे समय तक उदासीन रहें। इसका विरोध करते हुए याची के अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय ने दलील दी कि विपक्षी का यह तर्क कोर्ट को गुमराह करने वाला है, पेंशन के मामलों में समय सीमा की बाध्यता को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र श्रीवास्तव एवं अभयरघुनाथ कार्वे, वाईस एडमिरल (रि0) की खण्ड-पीठ ने सुनवाई के लिए वाद को स्वीकार कर लिया।

सुनवाई के दौरान विपक्षी भारत सरकार रक्षा-मंत्रालय द्वारा तर्क दिया गया कि आँख के खराब होने को सेना से नहीं जोड़ा जा सकता और याची की दिव्यांगता उस श्रेणी में नहीं आती की इसका लाभ याची को दिया जा सके इसलिए याची के वाद को जुर्माने के साथ ख़ारिज कर दिया जाए, जिसका जबर्दस्त विरोध करते हुए याची के अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि समुद्र से करीब छ: हजार फीट ऊँचाई पर माईनस चालीस डिग्री तापमान में देश की सेवा करने वाले सैनिक को यह कहना कि इस बीमारी से सेना का कोई संबंध नहीं है स्वीकार करने योग्य नहीं है, और याची को दिए गए इलाज और आपरेशन से यह साबित होता है कि उसको यह बीमारी लेह-लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में हुई है और, उसकी दिव्यांगता को कानूनी परिधि के बाहर बताना तर्कसंगत नहीं है, याची के अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय की दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र श्रीवास्तव एवं वाईस एडमिरल (रि0) अभयरघुनाथ कार्वे की खण्ड-पीठ ने आठ प्रतिशत व्याज के साथ दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया और, निर्देशित किया कि याची का मेडिकल दुबारा कराया जाए जिससे उसकी दिव्यांगता को जाना जा सके और उस आधार पर उसे आगे पेंशन दी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की वन्नियार जाति को मिले 10.5 प्रतिशत के आरक्षण को किया खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय को दिए गए 10.5 फीसदी के आरक्षण को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी समुदाय को आरक्षण देने के लिए जाति ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। वन्नियार समुदाय को तमिलनाडु में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी माना जाता है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के 1 नवंबर को दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार और पीएमके ने याचिका दायर की थी। जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि 2021 में तमिलनाडु सरकार की ओर से बनाया गया यह कानून संविधान की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई आधार नहीं बनता है कि वन्नियार समुदाय को अलग श्रेणी में रखा जाए। फरवरी 2021 में वन्नियार समुदाय को मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी घोषित करते हुए तमिलनाडु विधानसभा में 10.5 फीसदी आरक्षण देने का कानून पारित किया गया था। यह कोटा एमबीसी के लिए तय 20 फीसदी आरक्षण में से ही दिया जाना था। इस फैसले के तुरंत बाद इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था कि इस बारे में हाई कोर्ट फैसला देगा।

भारतीय वैज्ञानिकों ने पराग एलर्जी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विविध क्षेत्रों से संबंधित रणनीतियों का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि पराग (पॉलेन) पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के प्रशिक्षण जैसे बड़े पैमाने पर उपाय और व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले उपायों- जैसे पराग पूर्वानुमान, फेस मास्क, चश्मा और एयर फिल्टर का उपयोग, नियमित रूप से निर्धारित दवाएं लेना, बाहरी जोखिम को सीमित करना और बागवानी से बचना या अधिकतम पराग वाले मौसम के दौरान घास काटने से परहेज करके पराग से संबंधित एलर्जी रोगों की शुरुआत और उनकी तीव्रता को कम करने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने बीमारी के बेहतर समाधान के लिए पराग एलर्जी, एलर्जी से बचाव, उसके लक्षण और प्रबंधन के बारे में उचित ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। मौसम में परिवर्तन के साथ ही वसंत अब पूरी तरह से खिल रहा है, पेड़, घास और खरपतवार अन्य समान पौधों को निषेचित करने के लिए पराग के रूप में जाने वाले महीन बायोएरोसोल कणों को छोड़ते हैं। हालांकि, नाक के रास्ते में प्रवेश करने वाले परागकण विभिन्न लक्षणों के साथ कुछ हद तक सामान्य फ्लू और सर्दी के समान पराग एलर्जी का कारण बन सकते हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तनशीलता बढ़ रही है, यह आशंका भी हो जाती है कि शहरी वातावरण पराग से संबंधित श्वसन और त्वचा रोगों के बोझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देगा।

इसे ध्यान में रखते हुए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च – पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ से प्रो. रवींद्र खैवाल, सुअक्षी गोयल, पीएच.डी. शोध छात्र, और डॉ. सुमन मोर, अध्यक्ष, पर्यावरण अध्ययन विभाग ने पराग एलर्जी रोग और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए कार्यान्वयन संबंधी कमियों की व्यवस्थित रूप से जांच की। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा समर्थित उनका अध्ययन, एल्सेवियर की एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइजीन एंड एनवायर्नमेंटल हेल्थ (आईजेएचईएच) में प्रकाशित हुआ था।

इस अध्ययन का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित कर व्यापक पराग एलर्जी के प्रमुख कारणों को समझना और कार्यान्वयन संबंधी कमियों की पहचान करना है ताकि पराग से संबंधित एलर्जी रोगों की शुरुआत और तीव्रता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण अनुकूलन उपायों का सुझाव दिया जा सके। प्रो. रवींद्र खैवाल ने बताया कि ये सबमाइक्रोनिक-पराग कण नाक में ऊपरी वायुमार्ग में गहराई तक पहुंचने वाले श्वसन कणों के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे दमा (अस्थमा), क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) और अन्य एलर्जी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पराग एलर्जी सांस की एक प्रमुख बीमारी है जो रुग्णता का कारण बनती है और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। पिछले कुछ दशकों में, पराग एलर्जी की व्यापकता में वृद्धि हुई है। यह दुनिया भर में लगभग 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत वयस्कों और 20 प्रतिशत -25 प्रतिशत बच्चों को प्रभावित करती है और शहरीकरण, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ गई है।

डॉ. सुमन मोर, अध्यक्ष, पर्यावरण अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने उनके द्वारा सुझाई गई रणनीतियों के चार स्तरों- व्यक्तिगत स्तर, स्वास्थ्य देखभाल समुदाय और संगठन, स्थानीय सरकारें, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सरकार के स्तर, जोखिम को कम करने के लिए पराग एलर्जी से जुड़ी बीमारियों के बारे में प्रकाश डाला।